निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 96/वर्ष 2016–17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग के माह 02/2015 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानुप्रताप सिंह, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 26.11.2016 से 07.12.2016 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजारंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विनीत राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 09.02.2015 से 21.02.2015 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2011 से 01/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य/उपयोगी शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक बच्चे की पहुॅच तक विद्यालय स्थापित करने, मूलभूत सुविधाऐं विकसित करने, शालात्यागी होने से बचने हेतु निःशुल्क भोजन, गणवेश, पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाने एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद के तीन विकासखण्ड हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2014–15	–	162.51	–	–	1829.01	1868.74	–	122.78
2015–16	–	122.78	–	–	1727.99	1837.14	–	13.63
2016–17	–	13.63	–	–	1468.33	1275.38	–	206.58

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	एस0एस0ए0	162.51	1829.01	1868.74	–	122.78
2015–16	एस0एस0ए0	122.78	1727.99	1837.14	–	13.63
2016–17	एस0एस0ए0	13.63	1468.33	1275.38	–	206.58

(iii) इकाई को बजट आबंटन भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 90 : 10 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

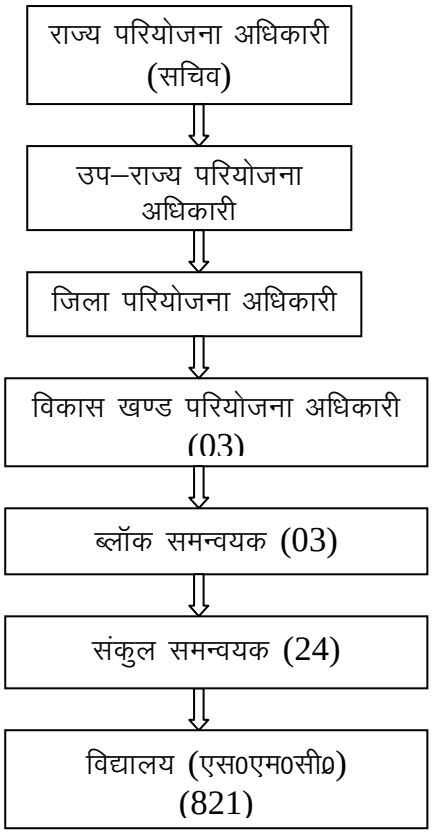

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2015 एवं अक्टूबर 2016 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 विभागीय विफलता के कारण रु0 10.86 लाख का अलाभकारी व्यय के साथ रु0 25.00 लाख की लागत वृद्धि।

सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2006–07 में रा0उ0मा0वि0, सिलगांव के पुनर्निर्माण हेतु रु0 6.00 लाख एवं वर्ष 2008–09 में रा0प्रा0वि0, टैंडवाल एवं रा0प्रा0वि0, महड के नवीन विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु रु0 11.86 लाख स्वीकृत हुए। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिला परियोजना अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 में रा0उ0मा0वि0, सिलगांव हेतु रु0 6.00 लाख (दिनॉक 22.06.2006 : रु0 3.00 लाख एवं दिनॉक 22.11.2006 : रु0 3.00 लाख) तथा वर्ष 2008–09 में रा0प्रा0वि0, टैंडवाल एवं रा0प्रा0वि0, महड के नवीन विद्यालय भवनों हेतु रु0 11.86 लाख (दिनॉक 05.01. 2009 : रु0 3.56 लाख, दिनॉक 19.02.2009 : रु0 5.93 लाख एवं दिनॉक 24.02.2010 : रु0 2. 25 लाख) ग्राम शिक्षा समिति (वर्तमान में विद्यालय प्रबन्धन समिति) को अवमुक्त किए गये। इसप्रकार उक्त तीनों विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रु0 17.74 लाख अवमुक्त किए गये।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग के सिविल निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त तीनों कार्यो को रु0 10.86 लाख व्यय किए जाने के पश्चात् अधूरे में ही बन्द कर दिए गये एवं सात से नौ वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी सम्बन्धित कार्य अधूरे ही पडे हुए थे, जो राजकीय कार्यों के प्रति विभागीय उदासीनता का द्योतक है। लेखापरीक्षा अवधि अर्थात दिसम्बर 2016 में उक्त कार्यों में रा0उ0मा0वि0, सिलगांव मात्र डोर बैंड स्तर, रा0प्रा0वि0, टैंडवाल पिलिन्थ स्तर एवं रा0प्रा0वि0, महड का कार्य मुख्य भवन के प्लास्टर के अतिरिक्त अन्य कार्य प्रारम्भ न किए जाने के स्तर पर ही लम्बित थे। उक्त तीनों कार्यों में रु0 10.86 लाख व्यय किए जाने के पश्चात् भी ग्राम शिक्षा समिति को अवमुक्त धनराशि रु0 17.86 लाख में से रु0 7.00 लाख ग्राम शिक्षा समिति के खातों में ही पडी हुई थी। आगे अभिलेखों में पाया कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उक्त कार्य बन्द कर पुनः धनाभाव के कारण प्रारम्भ न किए जाने के फलस्वरुप जिला परियोजना अधिकारी ने वर्ष 2016–17 में रु0 32.00 लाख के प्रस्ताव जिला योजना में प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष उक्त तीनों अधूरे कार्यों हेतु रु0 25.00 लाख जिला योजना में स्वीकृत किए गये। वर्तमान में उक्त कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किए गये।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि कार्यालय एवं ग्राम शिक्षा समिति उक्त कार्यों को समय रहते स्वीकृत धनराशि के अनुरुप ही पूर्ण कर देती तो जिला योजना की धनराशि रु0 25.00 लाख का उपयोग किसी अन्य जन–समुदाय के कार्यों पर किया जा सकता था। इसप्रकार कार्यालय की विफलता के परिणास्वरुप राज्य सरकार केन्द्र की योजना से रु0 17.86 लाख का पूर्ण उपभोग करने से बंचित रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण कार्य पूर्व स्वीकृत राशि में नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक समयावधि निर्धारित की गई है एवं उक्त कार्य विगत सात से नौ वर्ष व्यतीत होने पर भी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के विरुद्व कोई कार्रवाई नहीं की गयी। परिणामतः 03 अधूरे कार्यों पर किया गया व्यय रु0 10.86 लाख न केवल अलाभकारी रहा वल्कि लम्बित रहने के कारण रु0 25.00 लाख की लागत वृद्वि भी हुई।

अतः विभागीय विफलता के कारण रु0 10.86 लाख का अलाभकारी व्यय के साथ रु0 25.00 लाख की लागत वृद्धि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 2 : लेखाओं के रख–रखाव में वित्तीय नियमों का पालन न किए जाने के साथ–साथ रु0 1.45 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यूनिफार्म एवं सिविल निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि की वास्तविकता ज्ञात करने एवं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिलेखों से अवमुक्त धनराशि के मिलान जॉच हेतु लेखापरीक्षा दल द्वारा चयनित विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच की गयी। नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. विद्यालयों में रोकड बही निर्धारित प्रारुप एवं प्रक्रिया के अनुसार तैयार नहीं की जा रही थी एवं एकरुपता भी नहीं थी।
2. विद्यालयों में रोकड बही पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे थे।
3. रोकड बही में माह के अन्त में प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रमाण–पत्र अंकित नहीं किया गया था।
4. विद्यालयों में व्यय बाउचरों में मोहर सहित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के न तो हस्ताक्षर किए गये थे एवं न ही स्वीकृत भुगतान राशि का उल्लेख किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त भुगतान एवं निरस्त भी अंकित नहीं किया जा रहा था।
5. गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम (i) प्रत्येक विद्यालय कम से कम तीन सप्लायरों से कोटेशन प्राप्त कर कपड़े का नमूना कोटेशन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे एवं (ii) कपड़े के नमूने के साथ प्राप्त कोटेशन का मूल्यांकन क्रय समिति अर्थात विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस0एम0सी0) के सदस्य, प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन कर गणवेश के लिए सिले जाने वाले कपड़े का निरीक्षण एवं अनुमोदन क्रय समिति द्वारा दिया जाएगा तथा बच्चों के सिले हुए गणवेश का निरीक्षण तकनीकी कर संभार पंजिका में अंकन की जाएगी। लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित एवं जॉच हेतु उपलब्ध विद्यालयों के गणवेश से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों में पाया कि गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। विद्यालयों द्वारा गणवेश क्रय हेतु कोटेशन तो प्राप्त किए गये थे परन्तु प्राप्त कोटेशनों में न तो कपड़े के नमूने संलग्न थे एवं न ही मूल्यांकन क्रय समिति का अनुमोदन था। जिससे प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा उक्त व्यय बिना गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया, साथ ही छात्रों कों दिए जाने वाले गणवेश के स्थान पर छात्रों को बिना सिले हुए कपड़ा दिया जा रहा था जो कि अनियमित था।

6. विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तुलंगा में फरवरी 2015 से जुलाई 2015 तक की गई प्रविष्टियॉ रोकड बही में सत्यापित नहीं की गई थी एवं निर्माण कार्य पर रु0 144800 का व्यय भुगतान बिना विद्यालय प्रबन्धन समिति के पारित किए ही किया गया था। इसप्रकार रु0 144800 का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण संज्ञान में आने पर समस्त बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 की बैठक बुलाकर निर्देशित किया जायेगा एवं भविष्य में इसप्रकार की कमियॉ/त्रुटियॉ न हो, इसके लिए सख्त निर्देश निर्गत किए जायेंगे। बिना विद्यालय प्रबन्धन समिति के पारित किए व्यय भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया कि तत्कालीन एस0एम0सी0 को नोटिस जारी कर अविलम्ब सम्बन्धित रोकड बही एवं व्यय वाउचरों को प्रमाणित कर कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय धनराशि की प्राप्ति एवं व्यय हेतु रोकड बही एवं लेखाओं का रख–रखाव किया जाना आवश्यक है।

अतः विद्यालयों द्वारा लेखाओं के रख–रखाव में वित्तीय नियमों का पालन न किए जाने के साथ–साथ रु0 1.45 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : राजस्व प्राप्ति के रुप में प्राप्त रु0 18,155 का अनियमित उपयोग किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या–वित्त अनुभाग–3/2003–04 दिनॉक 30 अप्रैल 2003 में निर्देशित आदेशों के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तो इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियॉ 04–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियॉ 800–अन्य प्राप्तियॉ, 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रप्रयाग के वर्ष 2014–15 से 2016–17 (10/2016 तक) के राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा इस अवधि में कुल रू0 18,155.41 राजस्व प्राप्त किया एवं प्राप्त राजस्व को कार्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि निर्देशानुसार राजस्व प्राप्तियों को सम्बन्धित शीर्षों में जमा किया जाना था। वर्षवार प्राप्तियों का विवरण निम्न हैः–

वर्ष	प्राप्त धनराशि		
	टेण्डर एवं अन्य	सूचना के अधिकार से प्राप्त धनराशि	योग
2014–15	3800.00	50.00	3850.00
2015–16	13385.41	20.00	13405.41
2016–17 (10/2016)	900.00	0.00	900.00
योगः–	**18085.41**	**70.00**	**18155.41**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर भविष्य में तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः राजस्व प्राप्ति के रुप में प्राप्त रु0 18,155 के अनियमित उपयोग किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : गणवेश वितरण में रु0 9.56 लाख का उपभोग न कर 2,389 बालक/बालिकाओं को गणवेश से वंचित रखना।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के पंजीकृत/अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं एवं एस0सी0/एस0टी0/गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को दो जोड़ी गणवेश (यूनिफार्म) रु0 400/– प्रति बच्चे की दर से दिए जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग के यूनिफार्म से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जनपद में वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षा 1 से 8 तक के कुल 71,634 पात्र बालक/बालिकाओं हेतु रु0 286.54 लाख स्वीकृत किए। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परियोजना कार्यालय द्वारा रु0 286.54 लाख विद्यालयों को अवमुक्त किया एवं रु0 9.56 लाख अवशेष रहा। नीचे तालिका में दिए गये विवरण से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष जनपद में 71,634 योग्य बालक/बालिकाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मात्र 69,245 बालक/बालिकाओं को गणवेश वितरित किया गया एवं 2,389 बालक/बालिकाओं को गणवेश से वंचित किया गया। उक्त से प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा या तो जनपद में कुल योग्य बालक/बालिकाओं हेतु मॉग–पत्र बिना वास्तविकता के अनुमान के तौर पर तैयार किया गया या योग्य बालक/बालिकाओं को पूर्ण रुप से यूनिफार्म वितरित नहीं की गई। कार्यालय में इस तरह का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करें कि प्रत्येक योग्य बालक/बालिकाओं को यूनिफार्म वितरित की गई, वर्षवार यूनिफार्म वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

(रुपये लाख में)

वर्ष	जनपद में कुल छात्र संख्या	स्वीकृत राशि	ड्रेस हेतु प्राप्त राशि	अवमुक्त राशि	वास्तविक व्यय	ड्रेस वितरण छात्रों की संख्या	अवशेष राशि	अवशेष छात्र
2014–15	25,179	100.72	100.72	100.72	94.83	23,837	5.37	1,342
2015–16	23,534	94.14	94.14	94.14	92.82	23,206	1.32	328
2016–17	22,921	91.68	91.68	91.68	88.81	22,202	2.87	719
योगः–	**71,634**	**286.54**	**286.54**	**286.54**	**276.46**	**69,245**	**9.56**	**2,389**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग ने अपने उत्तर में बताया कि गणवेश यू0डी0आई0एस0ई0 के आधार पर वार्षिक योजना में मॉग की जाती है। धनराशि अवमुक्त से पूर्व 30 अप्रैल को छात्र संख्या के आधार पर राशि अवमुक्त की जाती है, इसलिए छात्र संख्या में अन्तर हुआ। उत्तर स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि इन समस्त प्रावधानों को दिशा–निर्देशों के अनुरुप पूर्व में ही किया जाना चाहिए था।

अतः गणवेश वितरण में रु0 9.56 लाख का उपभोग न कर 2,389 बालक/बालिकाओं को गणवेश से बंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
24/2006–07	1	1 एवं स्टैन–1
42/2011–12	–	1 एवं 2
177/2014–15	–	1 एवं स्टैन 1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
24/2006–07	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	'STAN' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
42/2011–12	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
177/2014–15	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय ने अवगत कराया कि समस्त 32 लम्बित कार्य वर्तमान में पूर्ण किए जा चुके है।	सम्बन्धित कार्यों के उपभोग प्रमाण– पत्रों के अवलोकन के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।	
	'STAN' प्रस्तर–1	रु0 875.55 लाख के लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्रों में से रु0 865.43 लाख के उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके हैं एवं मात्र रु0 10.12 लाख प्रगति के कारण लम्बित है।	अधिकतम उपभोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त होने, जिला परियोजना अधिकारी के प्रतिउत्तर एवं वार्ता के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।	
	'STAN' प्रस्तर–2	368 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 21 विद्यालयों में प्रक्रिया गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जनपद में कोई भी विद्यालय शौचालय विहीन नहीं है।	जिला परियोजना अधिकारी के प्रतिउत्तर एवं वार्ता के आधार पर स्टैन प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. कार्यालय में रोकड बही एवं अन्य अभिलेखों का उचित ढंग से रख–रखाव किया गया था।

2. आय–व्ययक एवं गार्ड फाईल का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।

3. कार्यालय के अधीन समस्त विद्यालयों की अवसंरचना, अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या एवं अवमुक्त धनराशि की सूचना समन्वयकों द्वारा अद्यतन थी।

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i)
(ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री जयप्रकाश यादब	जिला परियोजना अधिकारी	22.08.2014 से 21.09.2015
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल	जिला परियोजना अधिकारी	21.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र